डॉ० शुचिता चतुर्वेदी
सदस्य

आज़ादी का अमृत महोत्सव

उत्तर प्रदेश
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
लखनऊ -226001

पत्रांक राoबाoआo/ 1971 /40/बालश्रम/2022–23 दिनांक 31-03-2023

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
श्रम,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः ई रिक्शा चलाने में संलिप्त बच्चों को मुक्त कराकर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम–2005 की धारा–17(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम–2005 की धारा–13 व 14 के अन्तर्गत आयोग को बालक के अधिकारों का उल्लंघन एवं उनकी संरक्षा के अतिक्रमण की जांच/निस्तारण कराये जाने का पूर्ण अधिकार है।

उपर्युक्त विषयक श्री रंजीत कुमार, कार्यक्रम प्रबंधक, एम ट्रस्ट, लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2023 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से आयोग को अवगत कराया गया है कि ई रिक्शा मालिक ई रिक्शा चलाने में बच्चों का उपयोग कर रहे हैं जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, भविष्य प्रभावित हो रही है। साथ ही बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनिमय) अधिनियम 1986 का घोर उल्लंघन हो रहा है। ई रिक्शा पर बैठने वाले बच्चों व आमजन के साथ दुर्घटना होने की भी अधिक संभावना रहती है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि समस्त उत्तर प्रदेश में बच्चों द्वारा ई रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु सघन अभियान चलाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, साथ ही उक्त कार्य में संलिप्त बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाये। कृत कार्यवाही से आयोग को शीघ्र अवगत करायें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया

(डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी)
सदस्य

पत्रांकः रा0बा0आ0/ /40/बालश्रम/2022–23 दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, सर्वोदय नगर, कानपुर ईमेल–labourcom@nic.in
3- श्री रंजीत कुमार, कार्यक्रम प्रबंधक, एम ट्रस्ट, लखनऊ ईमेल–aimlucknow@gmail.com

सदस्य

कार्यालय : 14–बी, माल एवेन्यू, लालबहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ -226001
दूरभाष : 0522-2239066 ई-मेल : upbalaayog@gmail.com वेबसाईट : www.upbalayog.com

Aim Trust एम ट्रस्ट
61, वासुदेव नगर, कमता चिनहट, लखनऊ–226028, (उ0प्र0)
मो0 : +91 9415121462, 9415472462
ईमेल : aimlucknow@gmail.com
वेबसाइट : www.aimindiatrust.org

पत्रांक – AIM/SCPCR/1277/2023

दिनांक – 21.03.2023

सेवा में
डॉ. शुचिता चतुर्वेदी
मा० सदस्य
बाल अधिकार संरक्षण आयोग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

02
22/03/023

विषय - ई रिक्शा चलाने से पूरे प्रदेश में किशोर बालको को रोकने एवं उनके सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में

आदरणीय महोदया,

Aim ट्रस्ट CRY के सहयोग से बाल कल्याण के मुद्दे पर लखनऊ के पांच मलिन बस्तियों में कार्यरत है. अपने कार्य के दौरान मुंशीपुलिया और कल्याणपुर चौराहे पर हमलोगो ने देखा की अनेक ई रिक्शा के मालिक किशोर बालको से अपना ई रिक्शा किराये पर चलवाते हैं जो की खतरनाक कार्यों में से एक है व बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का भी उल्लंघन है एवं बालको के सुरक्षा के साथ- साथ ई रिक्शा व पैदल चलने वाले आमलोगो के सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

अतः हम आपसे अनुरोध है की इस समस्या को अपने संज्ञान में लेकर सम्बंधित विभागों जैसे श्रम विभाग ,परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन(विशेष किशोर पुलिस ईकाई) द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में उचित कार्यवाही करवाने का आपसे निवेदन है ताकि पूरे प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

प्रताप शंकर
प्रताप शंकर
बाल संरक्षण अधिकारी
मोबाइल 9792879980

O/S

O.S

23/3/23

रंजीत कुमार
कार्यक्रम प्रबंधक
मोबाइल 9451162613